समक्ष : माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ.ए. संख्या 165 वर्ष 2021

गिरजाशंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

विषय : माननीय न्यायाकिरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में लक्ष्मी तालाब का प्रदूषण रोकने, जीर्णोद्वार एवं सुंदरीकरण के बावत् प्रार्थी द्वारा आपके समक्ष मूलवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें लक्ष्मी तालाब के पर्यावरण सुंदरीकरण के बावत् आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्यवाही कराने की मूलवाद क्रम 165/2021 में मांग की गई थी, परन्तु नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा मूलवाद के साथ नगर पार्क का वाद जुड़वा दिया है क्योंकि नगर पार्क के समीप नरेन्द्र कुशवाहा की स्वयं की बड़ी भूमि है जिसका लाभ मूलवाद के साथ नरेन्द्र कुशवाहा लेना चाहते हैं, उक्त नरेन्द्र कुशवाहा के वाद के निरस्तीकरण हेतु।

1. मूलवाद लक्ष्मी तालाब है जिसमें थोड़ी दूरी पर प्रस्तावित वर्ष 2000 से 2021 में नगर पार्क बनाए जाने के लिए कुछ भूमि को सरकार की है पर प्रस्ताव किया गया था।

2. आपसे निवेदन है कि लक्ष्मी तालाब के सुंदरीकरण पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्णय दिया जाये। मूलवाद से हटकर नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा निवासी–पिछोर मेडिकल कॉलेज, झांसी द्वारा नगर पार्क अतिक्रमण का आवेदन आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जो मूलवाद से बिल्कुल अलग विषय का है।

3. माननीय सक्षम न्यायालय से निवेदन करना चाहते हैं कि मेरा मूलवाद क्रम 165/2021 गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का निर्णय करने की कृपा की जाये। सम्मानित न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत ही आता है, आपसे आग्रह हे कि लक्ष्मी तालाब जो झांसी का गौरव है जिसे महारानी लक्ष्मीबाई ने बनवाया था को प्रदूषण मुक्त एवं तालाब के रकबे को जो दस्तावेजों में कागजात दर्ज हैं के तहत कार्यवाही कराए जाने की कृपा की जाये।

4. यह कि लक्ष्मी तालाब की पहली नपाई में कोई अतिक्रमण नहीं दिखाया गया था। दूसरी नपाई में जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2021 में ली गई नाप जिसमें दो अति प्राचीन मंदिर एवं दो छोटे मकान अतिक्रमण के रूप में दिखाए गए, जिसमें कहा गया कि चूँकि मंदिर अति प्राचीनकाल के हैं इसलिये इन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। दो छोटे मकान अतिक्रमण के रूप में दिखाए गए जिसमें कहा गया कि चूँकि मन्दिर अति प्राचीनकाल के है इसलिए इन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। दो छोटे मकानों के वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

तीसरी रिपोर्ट में वर्ष 2022 में मंडल झांसी आयुक्त द्वारा तालाब की नपाई की रिपोर्ट भेजी जिसमें 7 मंदिर एक मजार की जोड़ दिया गया है। इन तीनों रिपोर्ट में जो जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई, भिन्नता पाई गई, जो जांच का विषय है। नगर पार्क का विषय भिन्न है। नगर पार्क महायोजना में प्रस्तावित किया गया है जो महायोजना 2021 में समाप्त हो गई है। नगर पार्क के पास नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा जिसके द्वारा NGT में अपना अलग से अपना वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसकी स्वयं की लगभग 2.5 एकड़ विवादित सम्पादित है जिसको उसके परिवारीजनों चाचा ताऊ द्वारा पूर्व में बेच दी गई, जिसका नगर पार्क लक्ष्मी तालाब से कोई लेना देना नहीं है। **इसलिये हम सभी गिरजाशंकर राय, बी.एल. भास्कर एवं प्रदीप कुमार नामदेव, नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा निवासी–पिछोर मेडिकल कॉलेज के पीछे, झांसी से**

गिरजाशंकर राय (signature) प्रदीप कुमार नामदेव

क्रमशः.....पेज 2 पर

सभी याचिकाकर्ता अपने आपको अलग करते हुए लक्ष्मी तालाब सुंदरीकरण पर्यारण संरक्षण के सभी योजंनाओं के समर्थन में सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे।

5. उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में झांसी नगर निगम द्वारा लक्ष्मीताल के अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्राचीन 7 मन्दिर एवं एक मजार तोड़े जाने का कार्य तथा लक्ष्मी ताल का चिन्हीकरण एवं सीमांकन कराए बिना जीर्णोद्वार एवं सुन्दरीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

6. नगर के बड़े लक्ष्मीताल के अतिक्रमण तथा एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर होने वाले जीर्णोद्वार एवं विकास कार्यों के कारण दिन–ब–दिन तालाब का आकार सिकुड़ता जा रहा है।

7. सरकारी दस्तावेज के मुताबिक लक्ष्मीताल का क्षेत्रफल करीब 81.71 एकड़ है लेकिन अब तालाब की जमीनी हकीकत को देखें तो महज आधा ही क्षेत्रफल शेष रह गया है।

8. एक दौर था जब लक्ष्मीताल नगर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए था। लेकिन आज तालाब का क्षेत्रफल घटने की वजह से तालाब अपने अस्तित्व को खोते जा रहा है।

9. महारानी लक्ष्मीबाई जी के समय जब लक्ष्मीताल बनाया गया था उस समय नारायण बाग की ओर ताल के पानी को बांधने एवं निकालने की व्यवस्था के लिये बाँध एवं साइफन बनाया गया था जो आज भी निर्मित है।

10. झाँसी सौहार्दपूर्ण नगरी है पर लक्ष्मीताल की नपाई के नाम मंदिर और मजार पर तोड़े जाने का नोटिस चस्पा कर सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

11. लक्ष्मीताल से लगी हुई मजार की मरम्मत और पुताई का कार्य कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम ने स्वयं की धनराशि से कराया था।

12. पूर्व में की गई लक्ष्मीताल की नपाई में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की बात नहीं की गई। इस कार्यवाही की रिपोर्ट SDM कार्यालय एवं नगर निगम कार्यालय के पास है।

13. श्रीमान् जिलाधिकारी जी द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष भेजी स्थलीय आख्या दिनांक 22.11.2021 में लक्ष्मीताल की भूमि के भीतर 2 अति प्राचीन मंदिर एवं 2 बहुत छोटे मकान बने होने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि चूँकि मंदिर काफी प्राचीन है एवं लोगों की आस्था का केन्द्र है तथा दोनों मकान के स्वामियों ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी है।

14. श्रीमान् मण्डल आयुक्त जी द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष भेजी अन्तरिम आख्या दिनांक 02.04.2022 में भेजी जिसमें लक्ष्मीताल की भूमि के अंदर प्राचीन 7 मंदिर एवं प्राचीन मजार का जिक्र किया है।

15. लक्ष्मीताल की भूमि उसी सरकारी अमले ने जांच की है परन्तु रिपोर्ट अलग–अलग कैसे आ सकती है। सभी सरकारी रिपोर्टों में विरोधाभाष क्यों है ? यह जाँच एवं प्रश्न का विषय है।

16. लक्ष्मीताल की नपाई में हर बार अन्तर आने से लोगों में शंका है साथ ही झांसी की जनता भ्रमित एवं असमंजस्य में है कि कहीं लक्ष्मीताल अतिक्रमित भूमि बचाने के लिये कहीं लक्ष्मीताल की नपाई के नाम पर मंदिर और मजार पर तोड़े जाने का नोटिस चस्पा कर सौहार्द को बिगाड़ने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है।

17. लक्ष्मीताल का चिन्हीकरण एवं सीमांकन कराए बिना जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ कैसे और क्यों किया गया कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि करोड़ों रूपये बिना नाप पूरी किये ही खर्च कर दिये गये।

Kamal Kant Rana (signature) (signature) प्रदीप कुमार नामदेव (signature)

क्रमशः.....पेज 3 पर

प्रार्थना

1. मूलवाद लक्ष्मी तालाब है जिसमें थोड़ी दूरी पर प्रस्तावित वर्ष 2000 से 2021 में नगर पार्क बनाए जानें के लिए कुछ भूमि को सरकार की है पर प्रस्ताव किया गया था। परन्तु पूरी महायोजना का समय निकल जाने के बावजूद भी उक्त सरकारी भूमि एक कोश्तकारों की भूमि पर अब तक कोई नगर पार्क नहीं बनाया गया क्योंकि जिस पर कास्तकारों द्वारा पूर्व में निर्माण किया, बड़ी संख्या में पहले ही किया जा चुका था। अब महानगर योजना पुनः बनाई जा रही है या बनाई जाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है।

2. हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद में नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नगर पार्क महायोजना में जोड़कर लक्ष्मी तालाब मूलवाद प्रकरण को विवादित कर दिया है जिसमें प्राचीन मंदिर, मजार व सैकड़ों मकान बने हैं, जो विवादित हो गए है, जिसमें घनी आबादी के चलते नपाई होना संभव नहीं है क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा बिजली, पानी एवं सड़के बनाकर आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।

3. उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जानकारी में अवगत कराया गया कि लक्ष्मी तालाब के निकट पार्क की निजी कास्तकारों की भूमि रकवा 125.74 हैक्टेयर में से 100.42 हैक्टेयर पर 1970 से अब तक आबादी विकसित हो जाने के कारण इस स्थल पर नगर पार्क बनाया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। नगर पार्क हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 170.48 हैक्टेयर में से 125.74 हैक्टेयर निजी कास्तकारों की है। इनमें से 25.32 हैक्टेयर भूमि रिक्त है जो अलग अलग टुकड़ों में स्थित है जिस कारण इसको अर्जित करके नगर पार्क बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया कि निजी कास्तकारों की उक्त भूमि पर महायोजना 2021 में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया था। यह महायोजना दिनांक 04.01.2005 से प्रभावी है तथा 17 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। स्थानीय निवासीगण उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–54 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत लगातार इस भूमि को अवमुक्त कराए जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में समिति को प्रार्थना पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई। तीसरी रिपोर्ट में वर्ष 2022 में मंडल झांसी आयुक्त द्वारा तालाब की नपाई की रिपोर्ट भेजी जिसमें 7 मंदिर एक मजार की जोड़ दिया गया है। इन तीनों रिपोर्ट में जो जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई, भिन्नता पाई गई, जो जांच का विषय है।

4. नगर पार्क का विषय भिन्न है। नगर पार्क महायोजना में प्रस्तावित किया गया है जो महायोजना 2021 में समाप्त हो गई है। नगर पार्क के पास नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा जिसके द्वारा NGT में अपना अलग से अपना वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसकी स्वयं की लगभग 2.5 एकड़ विवादित सम्पादित है जिसको उसके परिवारीजनों चाचा ताऊ द्वारा पूर्व में बेच दी गई, जिसका नगर पार्क लक्ष्मी तालाब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिये मूलवाद में प्रार्थी गिरजाशंकर राय, बी.एल. भास्कर एवं प्रदीप नामदेव, नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा निवासी–पिछोर मेडिकल कॉलेज के पीछे, झांसी से सभी याचिकाकर्ता अपने आपको अलग करते हुए लक्ष्मी तालाब सुंदरीकरण पर्यारण संरक्षण के सभी योजनाओं के समर्थन में सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे।

गिरजाशंकर राय   [signature]   प्रदीप कुमार नामदेव

क्रमशः.....पेज 4 पर

5. मान्यवर, भूमि संबंधी विवाद निस्तारित करने के लिए सक्षम न्यायालय बनाए गए हैं, जिसकी प्रार्थना करना आपके न्यायालय में औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रस्तावित नगर पार्क लक्ष्मी तालाब से बहुत दूरी पर स्थित है जिसके तालाब के समीप कोई अंश नहीं है।

6. मान्यवर, नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा प्रार्थी के मूलवाद क्रम 165 वर्ष 2021 गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में नगर पार्क का वाद जुड़वाने का निज लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया है, जो मान्यवर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है, अतः नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा निवासी–पिछोर मेडिकल कॉलेज, झांसी द्वारा जुड़वाए गए वाद प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की कृपा करें।

7. मूलवाद संख्या–165/2021 उल्लेखित लक्ष्मीताल का है, दूसरा वाद नरेन्द्र कुशवाहा महानगर 2001–2021 में प्रस्तावित नगर पार्क के विषय बिल्कुल अलग–अलग हैं। लक्ष्मीताल पुरातत्व महत्व एवं महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा निर्मित तैयार है, जिससे झाँसी के लोगों की भावनायें जुड़ी हैं। लक्ष्मीताल के जीर्णोद्वार एवं विकास के लिये अनेक संस्थाएँ एवं राजनैतिक दल आन्दोलन वर्षों से कर रहे हैं जबकि महायोजना 2001–21 में जो नगर पार्क प्रस्तावित है, उसमें 125.74 हैक्टेयर भूमि काश्तकारों की है जो आज दिनांक तक अधिग्रहित नहीं की गई है। इस भूमि पर अनेक छोटे बढे भवन महायोजना 2001–21 के लागू होने के काफी पहले से बने होने के कारण नगर पार्क की प्रस्तावित भूमि महानगर योजना 2001–21 के लागू होते ही विवादित हो गई थी। नगर पार्क की भूमि का लक्ष्मीताल की भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

8. चूँकि लक्ष्मी ताल की भूमि का आज दिनांक तक नपाई नहीं हुयी लेकिन करोड़ों रूपयें प्रशासन द्वारा विकास के नाम पर व्यय कर लिया गया है। अपनी उक्त गलती को छुपाने के लिये नरेन्द्र कुशवाहा को जिला प्रशासन अपने साथ मिलाकर मामले को विवादित करने पर अमादा है अतः एक बार पुनः निवेदन है कि नगर पार्क का आवेदन जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा दिया गया है उसको निरस्त करने की कृपा की जाये, चूँकि मामला जमीन से आधारित है यदि न्यायालय चाहे तो मामला सिविल न्यायालय में अग्रसारित कर दें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण

(हस्ताक्षर) **गिरजाशंकर राय**
पुत्र स्व. श्री सेवाराम राय
निवासी–201, सिमराहा, झांसी

(हस्ताक्षर) **बी.एल. भास्कर**
पुत्र स्व. श्री मानिक लाल
निवासी–144, न्यू इन्द्रा नगर,
सीपरी बाजार, झांसी

(हस्ताक्षर) **प्रदीप नामदेव**
पुत्र स्व. श्री वैदेहीशरण
निवासी–अशोक नगर,
मोंठ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AE 350493

NOTARY GOVT. OF U.P. (INDIA)

<u>शपथपत्र</u>

समक्षः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ.ए. संख्या 165 सन 2021

गिरजाशंकर राय व अन्य **बनाम** **उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य**

शपथकर्ता मिनजानिव बी. एल. भास्कर पुत्र स्व. श्री मानिक लाल निवासी - 144 न्यू इंद्रा नगर, सीपरी बाजार झाँसी का मूल निवासी है निवेदन है कि उपरोक्त वाद में जो लक्ष्मी ताल का प्रदूषण रोकने, जीर्णोद्धार व सुन्दरीकरण के वावत प्रार्थी द्वारा जो उक्त मूलवाद प्रस्तुत किया है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17/02/2023 नियत है|

जो प्रार्थनापत्र दिनांक 10/02/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है वह प्रार्थी के संज्ञान में सत्य व सही है इसमें किसी भी तथ्य को झूठा या छिपाया गया नहीं है| उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी के पूर्ण होशोवास में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे पत्रावली में संलग्न कर ध्यान आकर्षित करते हुये पत्रावली का निस्तारण करने की कृपा करें|

(बी. एल. भास्कर)

602

Certified that the foregoing statement ... sworn before me this day ... the contents of this affidavit have been read over ... identified by shri ... Received the legal fee ...

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI DISTRICT

10-2-23

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AE 350494

शपथपत्र

समक्षः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ.ए. संख्या 165 सन 2021

गिरजाशंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

शपथकर्ता मिनजानिव गिरजाशंकर राय पुत्र स्व. श्री सेवाराम निवासी - 201 सिमराहा झाँसी का मूल निवासी है निवेदन है कि उपरोक्त वाद में जो लक्ष्मी ताल का प्रदूषण रोकने, जीर्णोद्धार व सुन्दरीकरण के वावत प्रार्थी द्वारा जो उक्त मूलवाद प्रस्तुत किया है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17/02/2023 नियत है |

जो प्रार्थनापत्र दिनांक 10/02/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है वह प्रार्थीके संज्ञान में सत्य व सही है इसमें किसी भी तथ्य को झूठा या छिपाया गया नहीं है | उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी के पूर्ण होशोवास में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे पत्रावली में संलग्न कर ध्यान आकर्षित करते हुये पत्रावली का निस्तारण करने की कृपा करें |

गिरजाशंकर राय
(गिरजाशंकर राय)

Received the legal fee Rs. 50-00 ...
PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI DISTRICT
10.2.23

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत INDIA TEN RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AE 350492

शपथपत्र

समक्षः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ.ए. संख्या 165 सन 2021

गिरजाशंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

शपथकर्ता मिनजानिव प्रदीप कुमार नामदेव पुत्र स्व. श्री वैदेही शरण निवासी - अशोकनगर मोंठ, झाँसी का मूल निवासी है निवेदन है कि उपरोक्त वाद में जो लक्ष्मी ताल का प्रदूषण रोकने, जीर्णोद्धार व सुन्दरीकरण के वावत प्रार्थी द्वारा जो उक्त मूलवाद प्रस्तुत किया है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17/02/2023 नियत है।

जो प्रार्थनापत्र दिनांक 10/02/2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है वह प्रार्थी के संज्ञान में सत्य व सही है इसमें किसी भी तथ्य को झूठा या छिपाया गया नहीं है। उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी के पूर्ण होशोवास में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे पत्रावली में संलग्न कर ध्यान आकर्षित करते हुये पत्रावली का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रदीप कुमार
(प्रदीप कुमार नामदेव)

601
...ertified that the foregoing statement ...
sworn before me ... by
shri Pradeep Kumar Namdev
whom the contents ... have
been read over ...
identified by shri ...
received the legal fee ...

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI DISTRICT
10-2-23